भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः – /रिट/मा0 न्यायालय/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांकः 22 मई, 2018

कार्यालय आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 1442/एम0एस0/2018 श्री अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने फैक्स पत्र दिनांक 22.05.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 22.05.201 को निम्न निर्देश दिये गये हैं:–

"The Hon'ble Court has directed the respondents not to open the financial bid and to list the matter on 30th May, 2018 and also directed the respondents to file counter affidavit till the next date of listing i.e. on 30th May, 2018."

विभाग द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 006_UNS_Ukroli_Kailash Nadi_12.894 ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/2017–18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018, संख्या 08_ UNS_ Ukroli_ Kailash Nadi_29.805 ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/2017–18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 एवं संख्या 10_UNS_Ukroli_Kailash Nadi_12.344 ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/2017–18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के कम में याचिकाकर्ता श्री अब्दुल अलीम द्वारा कमशः जनपद उधमसिंहनगर के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है0, ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है0 एवं ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.344 है0 क्षेत्रफल के उपखनिज लॉटों हेतु विभागीय ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रकिया में प्रतिभाग किया गया। उक्त उपखनिज लॉटों की तकनीकी निविदा पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार दिनांक 11.05.2018 को तथा क्वान्टिटी बिड दिनांक 21.05.2018 को खोली गयी है। उक्त लॉटों की वित्तीय निविदा प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त ही खोली जानी है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के समादर में जनपद उधमसिंहनगर के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है0, ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है0 एवं ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.344 है0 क्षेत्रफल के उपखनिज लॉटों जिनकी तकनीकी निविदा दिनांक 11.05.2018 को तथा क्वान्टिटी बिड दिनांक 21.05.2018 को खोली गयी है, के कम में की जानी वाली अग्रेत्तर कार्यवाही (वित्तीय निविदा) को मा0 न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जाता है।

आज्ञा से,
निदेशक

पृष्ठांकन संख्याः 434 /रिट/मा0 न्यायालय/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।

22/5/18
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक